न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
05-09-23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। वकील अप्रार्थी संख्या 13 ने जवाब प्रार्थना पत्र टी० आई० पेश की। नकल दिलाई गई। जवाब शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 20-9-2023 को पेश हो। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
20.09.2023	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। शेष अप्रार्थीगण की नोटिस तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से एवं साधारण तरीके से हो चुकी है। बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर शेष अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 18.10.2023 को पेश हो। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
18.10.2023	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अरथाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित मूल वाद पत्र न्यायालय द्वारा आज निर्णित किया जाकर अन्तिम डिक्री पारित हो जाने से इस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य प्रतित नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को इसी स्तर पर खारिज की जाकर फैसल की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील [illegible] 18/10/23 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.12.12 16:03:15 IST
Reason: SelfAttested